श्रम संसाधन विभाग
बिहार सरकार
—: अधिसूचना :—

श्री नागेश्वर यादव, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना के विरूद्ध औ०प्र०संस्थान, मुंगेर में नामांकन वर्ष 1997 में 27 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन नियमों का उल्लंघन कर प्रतीक्षा सूची बना कर करने, विभागीय निदेश संख्या—1501 दिनांक—16.06.1997 का उल्लंघन करने, प्रतीक्षा सूची, आरक्षण, योग्यता तथा व्यवसायवार तैयार नहीं करने, प्रतीक्षा सूची नामांकन नियमों के अनुसार तैयार नहीं करने जैसे कुल 07 आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या—133 दिनांक—13.05.06 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन दिनांक—26.08.07 में श्री यादव के विरूद्ध गठित सभी 07 आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिस पदाधिकारी द्वारा इस विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया वह इसके लिए प्राधिकृत नहीं थे। अतः ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही infructuous हो जाती है। फलतः श्री यादव के विरूद्ध पुनः विभागीय संकल्प संख्या—2556 दिनांक—11.09.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री यादव द्वारा संकल्प संख्या—2556 दिनांक—11.09.09 को निरस्त करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या—13758/2011 नागेश्वर यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक—01.04.13 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया :—

"In the said circumstances, this writ petition is allowed, memo no.2556 dated 11.09.2009 issued by the respondent-Principal Secretary as a disciplinary authority rejecting the report of Conducting Officer is hereby quashed and the concerned authority is directed to accept the above mentioned enquiry report of the Conducting Officer and conclude the departmental proceeding within four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order……."

3. माननीय न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या—133 दिनांक—13.05.06 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन दिनांक—26.08.07 की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार आरोप संख्या—03 तथा आरोप संख्या—04 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के मत से असहमत होते हुए आरोप संख्या—03 के संबंध में यह अभिलिखित किया गया कि प्रतीक्षा सूची का संधारण कोटिवार/व्यवसायवार होना चाहिए था किन्तु श्री यादव द्वारा प्रतीक्षा सूची मिश्रित रूप से तैयार की गयी, जो नामांकन नियमों के प्रतिकूल था। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज

किया गया है। आरोप संख्या–04 के संबंध में पाया गया कि प्रतीक्षा सूची में चयनित प्रशिक्षणार्थियों का हस्ताक्षर शुरू से चयन पंजी मे होना चाहिए था, जबसे प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी थी। किन्तु प्रतीक्षा सूची और कंट्रोल चार्ट के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि है कि एक ही तिथि में प्रतीक्षा सूची का संधारण मिश्रित रूप से करके इस सूची में अंकित प्रशिक्षणार्थियों का हस्ताक्षर कराया गया, जो नामांकन नियमों के प्रतिकूल था। इस तथ्य को भी संचालन पदाधिकारी द्वारा नजरअंदाज किया गया है।

4. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (2) के प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक–2687 दिनांक–05.08.13 द्वारा आरोप संख्या–03 एवं आरोप संख्या–04 के संबंध में सक्षम प्राधिकार के जाँच प्रतिवेदन से असहमति की सूचना देते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की मांग इस आधार पर की गयी कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का लघु दंड अधिरोपित किया जाय। श्री यादव द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। श्री यादव के द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं होने एवं पूर्व के ही बातो को दोहराये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या–3241 दिनांक–04.09.13 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का लघु दंड अधिरोपित किया गया।

5. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री नागेश्वर यादव द्वारा माननीय न्यायालय में पुनः एक सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–6042/2014 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक–06.10.17 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नरूपेण है :–

"After considering the submissions of the both the parties and on perusal of the record, I find that the petitioner has specifically stated in his show cause that the enquiry report was not given to him along with the show cause. The learned counsel for the State has not been able to show anywhere in the counter affidavit about the rebuttal of the statement of the petitioner. The learned counsel for the State has also not been able to show from the counter affidavit that the enquiry report was ever served to the petitioner at the time of asking show cause. Rule 18(2) of the Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005, mandates that upon receipt of the enquiry report under sub rule 23(1) of Rule 17 of the Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005, the disciplinary authority, if differs with the findings of the Enquiry Officer must give his point of difference on the basis of the evidence available on record and cause to or serve a copy of the point of difference along with the enquiry report to the Government servant so that the Government servant may get opportunity to persuade the disciplinary authority that the findings recorded by the disciplinary authority is not based on the evidence available on record or the findings of the Enquiry Officer is right, but, the disciplinary authority did not provide sufficient opportunity by not serving the enquiry report to the petitioner and thereby the order inflicting punishment by stopping three increments of the petitioner with non-cumulative effect is bad on the ground of violation of principles of natural justice and the review order also suffers from illegality as no reason has been assigned as the review was summarily dismissed."

6. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–06.10.17 को पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री नागेश्वर यादव, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–3241 दिनांक–04.09.13 द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा उनके अपील अभ्यावेदन दिनांक–21.10.13 की अस्वीकृति संबंधी विभागीय पत्रांक–4714 दिनांक–18.12.13 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया साथ ही श्री नागेश्वर यादव को संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक–26.08.07 की प्रति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–6042/2014 नागेश्वर यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–06.10.17 को पारित आदेश एवं उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री नागेश्वर यादव, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–3241 दिनांक–04.09.13 द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा उनके अपील अभ्यावेदन दिनांक–21.10.13 की अस्वीकृति संबंधी विभागीय पत्रांक–4714 दिनांक–18.12.13 को निरस्त किया जाता है। श्री नागेश्वर यादव, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना को संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन दिनांक–26.08.07 की प्रति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की मांग अलग से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० – 7056/2000 श्र०सं०– पटना,दिनांक–

निबंधित/स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि–श्री नागेश्वर यादव, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० – 7056/2000 श्र०सं०– पटना,दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० – 7056/2000 श्र०सं०– पटना,दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० – 7056/2000 श्र०सं०– पटना,दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० – 7056/2000 श्र०सं०– 31 पटना,दिनांक–06/7/2018
प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विशेष सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01 एवं 06), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

6/7/18
सरकार के विशेष सचिव
6/7/18